राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(13)ग्रावि/हरित राज. स्कीम/पार्ट–5/09–10 जयपुर, दिनांक 12 NOV 2009

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त।

विषय :– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान अंतर्गत हरित राजस्थान कार्यक्रम में वृक्षारोपण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान अंतर्गत हरित राजस्थान कार्यक्रम में राज्य सरकार के संकल्प में 10000 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त वृक्षारोपण किये जाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में वन विभाग द्वारा पंजीकृत वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के माध्यम से वृक्षारोपण कराये जाने के दिशा–निर्देश संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

उक्त संलग्न दिशा–निर्देशों के अनुसार योजनान्तर्गत वृक्षारोपण के कार्य करवाने का श्रम करें।

भवदीय,

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(आर.के.मीणा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा।
4. रक्षित पत्रावली।
5. Sh. M. Vijay EE to Upload on website.

12/11/09
परियोजना निदेशक, ईजीएस

वन विभाग द्वारा पंजीकृत वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण कराये जाने हेतु दिशा–निर्देश

1. ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियां जो उप वन संरक्षक के यहां रजिस्टर्ड है, एनआरईजीएस के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य लिये जाने हेतु प्रस्ताव संबंधित जिला कलेक्टर को उप वन संरक्षक के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।
2. संबंधित जिला कलेक्टर इन प्रस्तावों को वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कराने हेतु कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से ग्रामसभा को विचारार्थ भिजवायेंगे।
3 जिस भूमि पर कार्य कराये जायेंगे वह भूमि वन विभाग की होगी अथवा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव उपरान्त ग्राम पंचायत की चारागाह भूमि होगी।
4. योजना के अंतर्गत एक ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति द्वारा एक वर्ष में अधिकतम 50 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य लिया जा सकेगा।
5. प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला कलेक्टर द्वारा जिला परिषद में कार्यो को वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित करवाया जायेगा।
6. वृक्षारोपण कार्य के 5 वर्ष के तकनीकी स्वीकृति वन विभाग के प्रचलित मॉडल को ध्यान में रखते हुए उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे, जिसके आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा कार्य की वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।
7 कार्यों को संपादित करने हेतु नरेगा पंजीकृत श्रमिक आवेदन नरेगा फार्म संख्या 6 में ग्राम पंचायत को करेंगे। इन श्रमिकों के 5–5 के समूह बनाकर सचिव, ग्राम पंचायत, कार्यक्रम अधिकारी एवं अध्यक्ष ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति को सूचित करेगा। इस सूची के आधार पर कार्यों को संपादित करने हेतु मस्टररोल कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अध्यक्ष, वन सुरक्षा समिति को उपलब्ध कराया जायेगा एवं सूचना ग्राम पंचायत को भी दी जायेगी। जॉबकार्ड के आधार पर श्रमिक को कार्य पर नियोजित किया जायेगा।
8. समिति द्वारा प्रत्येक पखवाडे में किये कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं टास्क मूल्यांकन सदस्य सचिव एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा किया जाकर

मस्टररोलों को भुगतान करने हेतु कार्यक्रम अधिकारी, नरेगा को भिजवाया जायेगा।

9. कार्यक्रम अधिकारी द्वारा श्रमिकों को भुगतान सीधे ही उनके बैंक खातों में किया जायेगा।

10. वृक्षारोपण कार्य से संबंधित तकनीकी मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

11. वृक्षारोपण के लिए प्रजातियों का चयन किया जाकर पौध तैयार का कार्य नरेगा के अंतर्गत समिति द्वारा किया जायेगा।

12. कार्य के संबंध में सामग्री क्रय हेतु राशि की मांग समिति द्वारा उप वन संरक्षक के माध्यम से किये जाने पर उप वन संरक्षक द्वारा सामग्री की आवश्यकता एवं मूल्य का आंकलन कर कार्यक्रम अधिकारी के पास भेजा जायेगा। समिति द्वारा क्रय की गई सामग्री एवं बिलों का सत्यापन उप वन संरक्षक/ क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा कर दिये जाने उपरान्त राशि का अकाउन्ट पे चैक कार्यक्रम अधिकारी द्वारा समिति को जारी किया जायेगा।

13. कार्य पर हुए व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र समिति के सदस्य सचिव द्वारा समय–समय पर मण्डल कार्यालय को प्रस्तुत किये जायेंगे, जिन्हें उनके द्वारा कार्यक्रम अधिकारी को भिजवाया जायेगा।

14. समिति द्वारा संपादित वृक्षारोपण कार्य एवं कार्य की वर्क फाईल एवं संबंधित रिकॉर्ड का संधारण सदस्य सचिव द्वारा किया जायेगा। रिकॉर्ड का समय–समय पर निरीक्षण क्षेत्रीय वन अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी एवं अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा किया जायेगा।